हिन्दुस्तान 11 July 2021

आज का दिन 1832 में ब्रिटिश संसद ने सती प्रथा के उन्मुलन के खिलाफ शुद्धतावादी हिंदुओं के अपील को खारिज किया।

लोक अदालत में नौ करोड़ 32 लाख, 22 हजार रुपये के राजस्व की वसूली भी हुई, आठ बेंचों में की गई सुनवाई

राष्ट्रीय लोक अदालत में 579 मामलों का निष्पादन

कोडरमा | संवाददाता

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय में 10 जुलाई को वर्चुअल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया । इसमें आठ बेंचो के माध्यम से कुल 579 वादो का निष्पादन किया गया। वहीं नौ करोड़ 32 लाख रुपये की राजस्व की वसूली की गई।

मौके पर प्रधान जिला जज बीरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि लोक अदालत शीघ्र,सस्ता, सुलभ न्याय पाने का सशक्त माध्यम है। इसके जरिए जहां एक ओर लोगों के समय एवं पैसे की बचत होती है, तो लोगों को त्वरित न्याय भी मिल पाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में बढ़ रही भीड़ इस बात का परिचायक है कि लोक अदालत आम जनता के लिए काफी कल्याणकारी साबित हो रहा है । इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल आठ बेंचों का गठन किया गया था ।

बेंच सं. एक में जिला जज प्रथम रमाशंकर सिंह,अधिवक्ता भुनेश्वर राणा,बेंच सं.दो में जिला जज द्वितीय संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता ऋतम कुमारी,बेंच सं.तीन में सीजेएम शेखर कुमार, अधिवक्ता कुमार रौशन, बेंच सं.चार में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहम्मद उमर,अधिवक्ता धीरज जोशी, बेंच सं.पांच में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी राजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता बचनदेव नाथ आर्या, बेंच सं. छह में न्यायिक दंडाधिकार प्रथम श्रेणी कमलेश बेहरा,अधिवक्ता रीना कुमारी, बेंच सं.सात में जिला नीलामपत्र पदाधिकारी प्रमोद राम, अधिवक्ता शिवनंदन कुमार शर्मा और बेंच संख्या आठ में स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता राम विनय सिंह ने मामले की सुनवाई की । इसमें इन बेंचो के माध्यम से कुल 579 वादों का निष्पादन किया गया,जिसमे लंबित वादों की संख्या 392 और प्री-लिटिगेशन के 187 मामले (बैंक ऋण, होल्डिंग टैक्स व अन्य) शामिल हैं। जबकि विभिन्न विभागों से कुल कुल नौ करोड़ 32 लाख बाईस हज़ार 692 रु. राजस्व की वसूली की गई। मौके पर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह, जिला जज तृतीय तरुण कुमार, जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष जगदीश सलूजा, स्टेट बैंक के मुख्य शाखा प्रबंधक, वन विभाग, उत्पाद विभाग, बिजली विभाग के पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी, न्यायालयकर्मी मनोज कुमार, अमरेन्द्र कुमार सिन्हा, अनील कुमार सिंह, संजय कुमार, प्रमोद कुमार चौधरी, अनिल गुप्ता, कुमार संजय, रणजीत कुमार सिन्हा, नवीन भारती, राजकुमार राउत, राजीव कुमार, रविन्द्र कुमार, संतोष कुमार समेत अधिववक्ता, न्यायालयकर्मी, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि,पक्षकार मौजूद थे ।

दावाकर्ता को चेक सौंपते प्रधान जिला जज व मौजूद अन्य।

सुनवाई

- 392 लंबित वादों और 187 प्री लिटिगेशन के मामलों का निपटारा
- लोक अदालत शीघ्र, सस्ता न्याय पाने का सशक्त माध्यम: पीडीजे

10 साल से पति-पत्नी के बीच का विवाद हुआ खत्म, साथ रहने को राजी

कोडरमा । जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 10 साल से पति -पत्नी के बीच चल रहे लंबे विवाद का निबटारा किया गया। पति-पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए। न्यायालय से ही पत्नी को पति के साथ ससुराल भेज दिया गया।

मालूम हो कि कुटुम्ब न्यायालय कोडरमा में लंबित भरण-पोषण वाद सं 42/2020 की सुनवाई लोक अदालत में गठित बेंच संख्या एक में हुई। इस दौरान पीठासीन पदाधिकारी रमाशंकर सिंह द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार तिवारी के कुशल मार्गदर्शन में पति-पत्नी को साथ रहने के लिए तैयार किया। जानकारी के अनुसार विष्णुपद थाना के चांद-चौरा निवासी सत्यव्रत अशोक की शादी तिलैया थाना अंतर्गत अड्डी बंगला रोड निवासी आरती कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद लगभग दस साल से उनके बीच विवाद चला आ रहा था, जिसका आज अंत हो गया। न्यायालय में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों के सामने दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनकर और हाथ मिलकर अपने सारे गिले सिकवे भूलकर एक-दूसरे के साथ रहने को राजी हो गए।

पत्नी को माला पहनाते।